दिनांक 19–12–2016 को मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1– श्री सी0 एस0 नपलच्याल, सचिव/आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
2– श्री पी0एस0 रावत, अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– श्री श्याम सिंह चौहान, उप सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– श्री वी0एस0 मनराल, अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5– श्री एस0एस0 टेली, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, उप सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
7– श्री नंदराम सिंह, अनुभाग अधिकारी, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
8– डा0 अशोक कुमार मिश्र, समीक्षा अधिकारी, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
9– श्री हरक सिंह रावत, अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
10– श्री श्याम सिंह चौहान, उप सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11– श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
12– श्री राजीव कुमार मेहरा, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
13– श्री सुधांशु गर्ग, संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
14– श्री संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) देहरादून।
15– श्री रमेश सिंह राना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
16– श्री ए0 आर0 चौहान, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस विभाग, उत्तराखण्ड।
17– डा0 सदानन्द दाते, एस0पी0, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
18– श्री पुष्पक ज्योति, उप महानिरक्षक, पुलिस विभाग, गढ़वाल।
19– श्री डी0 गुंज्याल, एस0पी0 यातायात, देहरादून।
20– श्री स्वतंत्र कुमार, सी0ओ0 यातायात, उधम सिंह नगर।
21– श्री वी0एस0 चौहान, उप आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड।
22– श्री बी0एस0 रावत, अपर निदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तराखण्ड।
23– डा0 मीतू शाह, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
24– श्री एल0डी0 सेमवाल, सहायक निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
25– श्री आर0सी0 पुरोहित, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुख्यालय।
26– श्री के0पी0 उप्रेती, वरिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
27– श्री राजेश चन्द्र शर्मा, वरिष्ठ अभियन्ता, (एन0एच0) लोक निर्माण विभाग देहरादून।
28– श्री पी0एस0 गुसांई, परियोजना निदेशक, एन0एच0 ए0आई0, देहरादून।
29– श्री पी0एन0 गवासने, आर0एस0ओ0, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
30– श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

मा0 परिवहन मंत्री जी को अवगत कराया गया कि रिट याचिका संख्या–295/2012 में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश की अध्यक्षता मे एक सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा राज्यों में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में उठाये जा रहे कदमों की समय–समय पर समीक्षा करते हुए निर्देश पारित किये जाते हैं। इसी क्रम में मा0 समिति द्वारा दिनांक

28–10–2016 की बैठक के क्रम में अपने आदेश दिनांक 30–11–2016 को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रस्तुत करते हुए समयबद्ध अनुपालन के निर्देश दिये गये हैं।

बैठक में मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों तथा गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

1– मा0 सड़क सुरक्षा समिति के पत्र दिनांक 30–11–2016 में दिये गये निर्देशों (प्रति सभी विभागों को पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है और इस कार्यवृत्त के साथ भी पुनः संलग्न की जा रही है) पर दिनांक 31–01–2017 तक कार्यवाही पूर्ण करते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन आख्या परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं शासन में परिवहन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

2– मा0 समिति द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठकें अनिवार्य रूप से आहुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। अतः उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी एक कलैण्डर वर्ष में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की कम से कम 02 बैठकें अवश्य सम्पन्न हों।

(कार्यवाही परिवहन विभाग)

3– मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य में पृथक से "राज्य सड़क सुरक्षा कोष" स्थायी प्रकृति का किया जाए, जिसमें परिवहन विभाग/पुलिस विभाग द्वारा चालानों के प्रशमन से प्राप्त किये जा रहे प्रशमन शुल्क में से 25 प्रतिशत धनराशि जमा की जाएगी यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त कोष में प्राप्त 25 प्रतिशत धनराशि के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शहरी परिवहन निधि में एकत्र धनराशि का 10 प्रतिशत भी इस कोष में जमा किया जाए ताकि सड़क सुरक्षा से संबंधित होने वाले कार्यों का निर्वहन सुगमता पूर्वक किया जा सके।

(कार्यवाही परिवहन/पुलिस विभाग)

4– यद्यपि राज्य में परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी का शासनादेश निर्गत किया गया है जिसमें समस्त स्टेक होल्डर डैडीकेट स्टाफ की नियुक्ति की जानी है। यह भी निर्देश दिये गये कि लीड एजेन्सी में नियुक्त होने वाले अधिकारियों को नाम की अपेक्षा पदनाम से नियुक्ति प्रदान की जाए जिससे कि भविष्य में कार्यरत नियुक्त अधिकारी के परिवर्तित होने पर पृथक से नये अधिकारी की तैनाती की कार्यवाही न की जा सके। साथ ही सम्बन्धित विभागों द्वारा लीड एजेन्सी में अधिकारियों की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही समस्त स्टेक होल्डर विभाग)

5– उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के स्तर पर कार्ययोजना तैयार करते हुए सम्नवित कार्ययोजना लागू की गयी है। मा0 समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि उक्त कार्ययोजना में वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाए और उन्हें पूरा करने हेतु वित्तीय व्यवस्था भी की जाए, तद्नुसार कार्ययोजना संशोधित करने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में सभी विभाग अपनी–अपनी कार्ययोजना में वर्षवार लक्ष्यों, वित्तीय व्यवस्था का भी समावेश करते हुए, संशोधित कार्ययोजना निर्धारित तिथि दिनांक 31–12–2016 तक उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही समस्त स्टेक होल्डर विभाग)

6– मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य में चालक लाईसेन्स जारी किये जाने की व्यवस्था को सुदृढीकृत करते हुए देहरादून कार्यालय में केन्द्रीयकृत सर्वर आधारित 'सारथी 4.0' व्यवस्था के साथ–साथ अन्य परिवहन कार्यालयों में भी उक्त साफ्टवेयर के कस्टमाईजेशन की कार्यवाही करते हुये पूर्ण रूप से अपनाई जाए। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि कस्टमाईजेशन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए प्रथम चरण में राज्य के 5 कार्यालय (हल्द्वानी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, ऋषिकेश एवं काशीपुर) में 31–01–2017 तक तथा अन्य शेष परिवहन कार्यालयों में केन्द्रीयकृत सर्वर आधारित 'सारथी 4.0' व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाए तथा इस सम्बन्ध में लाईसेंस आवेदकों की सुविधा के दृष्टिगत CSC (Citizen Service Center) में भी लाईसेंस हेतु आवेदन करने की व्यवस्था एवं प्रत्येक कार्यालय में पृथक से काउंटर (Kiosk) खोले जाने का प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार कर लिया जाए।

इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि 'सारथी 4.0' व्यवस्था लागू करने से पूर्व ब्लॉक, तहसील स्तर पर सामजस्य करते हुये एन0आई0सी0 के साथ बैठक कर कर ली जाए तथा इसका प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही परिवहन विभाग)

7– मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य के सभी सिनेमाघरों में प्रत्येक शो से पहले 30 सेकण्ड की सड़क सुरक्षा सम्बन्धी फिल्म/विज्ञापन के प्रदर्शन का सत्यापन लीड एजेन्सी के माध्यम से करते हुये इसकी सूचना मा0 समिति को प्रेषित की जाए। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि परिवहन विभाग एवं मैसर्स मारूती सुजुकी इण्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार की गई सड़क सुरक्षा क्लिपिंग परिवहन मंत्रालय, उत्तराखण्ड की ओर से मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए ताकि मा0 समिति फिल्मों का निरीक्षण कर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से राज्य के सभी लोकल टी0वी0, रेडियो, सिनेमाघरों, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पम्प एवं अन्य पब्लिक प्लेस पर इनके संचालन हेतु अनुरोध कर सकें।

(कार्यवाही परिवहन/मनोरंजन विभाग)

8– राज्य द्वारा वर्ष 2009 से 2015 तक नशे की हालत में, वर्ष 2009 से 2011 के मध्य ओवर स्पीडिंग तथा वर्ष 2009 से 2011 के मध्य मारकर भाग जाने वाले चालकों की बजह से हुई दुर्घटनाओं में मृतक एवं घायलों का विवरण भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। जिसमें मा0 समिति को प्रेषित विवरणों में भिन्नता पाई गई है जिस पर मा0 समिति द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि भारत सरकार को पूर्व में प्रेषित विवरणों का मिलान करते हुए वास्तविक आंकड़े मा0 समिति को प्रेषित किये जाए तथा भिन्नता वाले आंकड़ों का स्पष्ट कारणों सहित उल्लेख करते हुये राज्य के सभी जनपदों का माह अक्टूबर 2016 तक का व्यौरा संलग्न कर प्रेषित किया जाए।

यद्यपि दिनांक 01–09–2015 से 31–08–2015 तक 2441 लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है परन्तु उसके सापेक्ष कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः निर्देश दिये गये कि मा0 समिति को लाईसेन्सों के विरूद्ध अपेक्षाकृत कम कार्यवाही किये जाने के मुख्य कारण यथा वाहन चालकों के पास लाईसेन्स न होना, लाईसेन्स की समय अवधि समाप्त होना, लाईसेन्स अन्य किसी अथॉरिटी द्वारा जारी

करना, सुनवाई में अत्यधिक समय लगना, लाईसेन्स धारक का पता परिवर्तित होने के सम्बन्ध में अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही परिवहन/पुलिस विभाग)

9— आबकारी विभाग द्वारा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर स्थापित 526 देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों में से 44 दुकानों को हटाये जाने के प्रस्ताव पर मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में मैदानी/पर्वतीय जिलों में शिफ्ट होने वाली दुकानों का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई हैं। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि शहरी विकास विभाग द्वारा राज्य के राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर स्थापित देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का प्रस्ताव नगर क्षेत्रों के अर्न्तगत इस प्रकार तैयार किया जाय जिससे कि राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व मे किसी प्रकार का नुकसान न हो।

(कार्यवाही आबकारी/शहरी विकास विभाग)

10— यघपि शहरी विकास विभाग द्वारा (protection of livelihood and regulation of street vending) Act. 2016 के अन्तर्गत वाहन संचालन में व्यवधान कर रहे होर्डिंग्स एवं अवरोधकों तथा फुटपाथों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में राज्य के 05 नगर निगम/नगर पालिकाओं में ही की गई कार्यवाही की सूचना प्रस्तुत की गई है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि राज्य की सभी नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग/परिवहन विभाग/शहरी विकास विभाग की संयुक्त टीम गठित कर वर्ष में कम से कम 02 बार इनका सर्वेक्षण कराया जाए तथा सर्वेक्षण के पश्चात इनका ऑडिट कराते हुये विस्तृत आख्या प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही शहरी विकास/लोक निर्माण विभाग)

11— मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा राज्य में ब्लैक स्पॉट के सम्बन्ध में जारी प्रोटोकोल के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही ब्लैक स्पॉट पर होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में उनकी पहचान करते हुये राज्य सरकार के स्तर पर गठित संयुक्त समिति (Engineering Wing, Police Department, Road Safety Expert) द्वारा उनकी मॉनिटरिंग/सर्वे तथा लीड एजेंसी द्वारा क्रियान्वयन की कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि ब्लैक स्पॉट पर पृथक–पृथक प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कलेण्डर, ब्लैक स्पॉट पर कलेण्डर जारी किया जाये तथा NH, SH, NHAI पर संयुक्त समिति द्वारा पुनः सर्वे की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करते हुए वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा ऑडिट कर चिन्हित किये गये ब्लैक स्पॉट के आदेश की प्रति भी मा0 समिति को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही लोक निर्माण विभाग)

12— स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने के दृष्टिगत उनके पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय को सम्मिलित किये जाने के साथ–साथ यह भी उपयुक्त होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी अध्यापकों को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी डाईट/बी0आर0सी0 में किया जाए। विद्यालयों में होने वाली अभिभावक व अध्यापक मिटिंग में भी सड़क सुरक्षा सम्बन्धी भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इस हेतु परिवहन विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के साथ सामन्जस्य बैठाते हुये

देहरादून/ऋषिकेश के स्कूलों में माह में कम से कम 02 सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किये जाए। उनके द्वारा कक्षा 06 से 12 तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों की जानकारी हेतु पुस्तिकाओं को भी मा0 समिति को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही परिवहन/शिक्षा विभाग)

13– यद्यपि राज्य में दोपहिया वाहनों पर पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिये भी अनिवार्य रूप से हैल्मेट पहनने हेतु परिवहन विभाग के अन्तर्गत सभी प्रवर्तन अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं इस सम्बन्ध में परिवहन/पुलिस विभाग द्वारा भी बिना हैल्मेट चालकों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा भी समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को पेट्रोल पम्पों पर दोपहिया वाहनों पर पिछली सीट पर बिना हैल्मेट के बैठने वाले व्यक्तियों को पेट्रोल की आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि उक्त के क्रियान्वयन की प्रास्थिति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु समिति की शीघ्र ही एक बैठक आहुत कर ली जाए।

(कार्यवाही परिवहन/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)

14– राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की गत बैठक में चालक लाईसेन्स हेतु आने वाले आवेदकों की परीक्षा हेतु 10 परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स एवं वाहनों की फिटनेस जाँच हेतु 06 स्थानों पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन (Construction and Certification Center) की स्थापना हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन स्थानों पर आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स एवं आटोमेटेड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु भूमि विभाग के नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है उनकी एन0पी0वी0/अन्य हेतु पुनर्वियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही परिवहन विभाग)

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

13/12/16

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव/आयुक्त।

o/c

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1

संख्या– /IX–1/ /2016
देहरादून, दिनांक दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ
2– प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

6– प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11– मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।